किशनगंज जिला के मो० लुतफुर रहमान को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दर्ज करने पर उनके मृत पशुओं के अनुग्रह अनुदान का भुगतान संभव हो सका

मो० लुतफुर रहमान, साकिन-किशनगंज गाछपाड़ा जिला-किशनगंज के घर में दिनांक- 26-01-2017 को अचानक आग लग जाने के कारण उनके पालतू पशु खस्सी, बकरी एवं बाछी आदि की झुलस कर मृत्यु हो गयी। क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान की स्वीकृति के बावजूद अंचल कार्यालय, किशनगंज से राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण इन्होंने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का सहारा लेते हुए दिनांक 08.06.2021 को परिवाद दर्ज कराया।

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए लोक प्राधिकार आपदा प्रबंधन शाखा के प्रभारी अपर समाहर्ता, किशनगंज को मामले का निवारण कराने हेतु नोटिस निर्गत किया गया जिन्होंने अंचल अधिकारी को इसपर कार्रवाई का निदेश दिया।

दिनांक- 07.09.2021 को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष सुनवाई में लोक प्राधिकार की ओर से यह प्रतिवेदन दिया गया कि परिवादी को उनके मृत पशुओं के अनुग्रह अनुदान के रूप में 18,000/- रू० का भुगतान कर दिया गया है। परिवादी ने इसकी पुष्टि भी की और लोक शिकायत निवारण कानून की मदद से उनकी समस्या का त्वरित निवारण हो जाने से इस अधिनियम के प्रति आभार प्रकट किया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी लोक शिकायतें दर्ज करायें तथा निश्चित समय सीमा में सुनवाई के पश्चात् समाधान पाएं

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर **18003456284** पर कॉल करें या

वेबसाइट http://lokshikayat.bihar.gov.in/ पर जाएं